

UPGK010027412024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), गोरखपुर।

परिवाद संख्या-17/2024

सत्यराम -----बनाम-----गनेश यादव वगैरह।

थाना.-बांसगांव , गोरखपुर

दिनांक- 07-11-2025

1. पत्रावली पेश हुई। थोड़े-थोड़े अंतर पर कई बार पुकार करवायी गयी। बावजूद इसके परिवादी सत्यराम की ओर से न तो कोई उपस्थित आया और न ही कोई स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया गया।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी का बयान अन्तर्गत धारा 200दं० प्र०सं० तथा सम्बन्धित साक्षियों का बयान अन्तर्गत धारा 202 दं० प्र०सं० अंकित हो चुका है तथा पत्रावली परिवादी तलबी बहस हेतु नियत चल रही है। पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी परिवादी की तरफ से मामले में तलबी बहस नहीं कराया जा रहा है व परिवादी आज अनुपस्थित भी है। अतः परिवादी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश -

परिवाद तदनुसार परिवादी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त किया जाता है।

दिनांक-07.11.2025

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),

गोरखपुर।

JO Code - UP 6066